आदेश पर ... बारे में टिप्पणी ...

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 21/2022–23

दुर्योधन राय...अपीलकर्त्ता

बनाम

जगरनाथ राय...उत्तरकारी।

आदेश

28.10.2022 यह रे0मि0 अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–39/2013–14 में पारित आदेश दिनांक–27.08.2021 के विरूद्ध में दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया है।

अभिलेख में उल्लेखित मुख्य तथ्य निम्न प्रकार है :–

मौजा जगतपुर अंचल रामगढ़ एक प्रधानी मौजा है। मौजा के अंतिम प्रधान मो0 झरिया देवी थी, जिनकी मृत्यू दिनांक–21.07.2013 को हो चुकी है। पूर्व प्रधान के तीन पुत्र यथा (1) दुर्योधन राय, अपीलकर्त्ता जगरनाथ राय (उत्तरकारी) एवं कमलाकांत राय है। पूर्व प्रधान के मृत्यु के पश्चात् उनके तीनों पुत्रों के द्वारा प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। निम्न न्यायालय में पूर्व प्रधान के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन राय (अपीलकर्त्ता) को आदेश दिनांक–22.09.2014 द्वारा मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध में उत्तरकारी द्वारा उपायुक्त के न्यायालय में रे0मि0 अपील वाद सं0–13/14–15 दायर किया गया गया। इस पर तत्कालीन उपायुक्त द्वारा दिनांक–26.04.2016 को निम्न न्यायालय के आदेश को विलोपित करते हुए पुर्नविचार हेतु इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि उत्तरकारी (दुर्योधन राय) के निवासी एवं घरजमाई के संबंध में अंचल अधिकारी, से विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त करें तथा उभय पक्षों एवं 16 आना रैयतों को सुनकर शिड्यूल–V के नियमों का अनुपालन करते हुए प्रधान की नियुक्त किया जाय।”

तत्कालीन उपायुक्त के इस आदेश के आलोक में अंचल अधिकारी, रामगढ़ से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त की गई जो उनके कार्यालय के पत्रांक–645/रा0 दिनांक–26.08.2021 द्वारा प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दुर्याधन राय कई वर्षो से सपरिवार मौजा लाठीवाड़ी, थाना–पोडैयाहाट, जिला–गोड्डा में निवास करते है। ग्रामीणों द्वारा बताया कि दुर्योधन राय शादी के वाद से लाठीवाड़ी में रहते है, परन्तु बुलाये जाने पर मौजा जगतपुर आते है। मौजा जगतपुर में भी अपना नीजी मकान है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा उत्तरकारी जगरनाथ राय पूर्व प्रधान के द्वितीय पुत्र को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध में यह अपील वाद दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्त्ता पूर्व प्रधान का ज्येष्ठ पुत्र है। नियमानुसार प्रधान पद पर अपीलकर्त्ता का दावा बनता है। अपीलकर्त्ता का मकान मौजा जगतपुर में भी है। अपीलकर्त्ता का स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं राशन कार्ड मौजा–जगतपुर के पता से निर्गत है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश न्याय संगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

उत्तरकारी की उपस्थिति न्यायालय में नहीं रहने के कारण उनके ओर से पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

अंचल अधिकारी, रामगढ़ का प्रतिवेदन एवं अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित तथ्य निम्न प्रकार है :–

उपायुक्त, दुमका के रे0मि0 अपील वाद सं0– 13/2014–15 में पारित आदेश दिनांक–26.04.2106 के आलोक में अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख है कि अपीलकर्त्ता का मौजा जगतपुर में अपना नीजि मकान है, किन्तु वह कई वर्षो से सपिरवार मौजा लाठीवाड़ी थाना–पोडैयाहाट, जिला–गोड्डा में निवास करते है। ग्रामीणों के अनुसार बुलाये जाने पर वह मौजा जगतपुर आते है।

पूर्व प्रधान के द्वितीय पुत्र उत्तरकारी मौजा–जगतपुर में रहते है एवं अंतिम प्रधान के Nearer heir है। इसी आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा अन्य आवेदकों का आवेदन को अस्वीकृत करते हुए पूर्व के द्वितीय पुत्र उत्तरकारी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया।

प्रावधान

Sec-6 Landlord to report the death of village headman. – When the village headman of a village which is not khas dies the landlord of the village shall report the fact within three months of its occurrence to the Deputy Commissioner with a view to the appointment of a village headman in the prescribed manner.

पुनःश्च Schedule V of the Santal Parganas Tenancy (Supplementary) Rules, 1950 provide for the rules for the appointment of headmen.

"In appointing headmen the following rules should be taken into consideration: ***The headman must be a resident of the village or his permanent home must be within one mile of the village.***

The appointments of headmen shall be made in accordance with village customs, and before confirming any appointment, the Deputy Commissioner shall satisfy himself that the candidate is generally acceptable to the raiyats, and an opportunity shall also in every instance, be afforded to the proprietor to object to any candidate."

पुनः बाबुलाल हेम्ब्रम बनाम बिहार राज्य 1998 (1) PLJR 43 में स्थापित है कि :–

"the headman's duty it is self evident that for any meaningful discharge of those duties, it would be essential for the headman to permanently and regularly reside in the village in question and it would not be possible to discharge those duties satisfactorily in case he lived outside the village on government postings and came to the village only intermittently"

निष्कर्ष

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा जगतपुर के अंतिम प्रधान मो0 झरिया देवी थी।

इनके मृत्यू के पश्चात् पूर्व प्रधान के ज्येष्ठ पुत्र (अपीलकर्त्ता) को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया था। इस आदेश के विरूद्ध में उपायुक्त के न्यायालय में रे0मि0 अपील वाद सं0–13/2014–15 दायर किया गया, जिसमें तत्कालीन उपायुक्त द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश विलापित करते हुए वाद को पुर्नविचार हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को भेजा गया कि अपीलकर्त्ता के निवासी एवं घरजमाई के संबंध में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर आदेश पारित किया जाय। तत्पश्चात् अंचल अधिकारी, रामगढ़ से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार अपीलकर्त्ता कई वर्षो से सपरिवार मौजा लाठीवाड़ी, थाना–पोड़ैयाहाट जिला–गोड्डा में निवास करते है, परन्तु प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख है कि उनका नीजि मकान मौजा जगतपुर में है एवं बुलाये जाने पर मौजा जगतपुर आते है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर पूर्व प्रधान के द्वितीय पुत्र उत्तरकारी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है। अंचल अधिकारी,रामगढ़ के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता नियमित रूप से आवास में नहीं रहते है। ऐसी स्थिति में संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम (पूरक) रूल्स 1950 के शिड्यूल–V में उल्लेखित नियम एवं बाबुलाल हेम्ब्रम बनाम बिहार राज्य 1998(1) PLJR 43 में पारित आदेश के आलोक में प्रथम दृष्टया निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश नियम सम्मत प्रतीत होता है, जो बरकरार रखे जाने योग्य है।

आदेश

उल्लेखित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश सही प्रतीत होता है। अतः इसे बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

2249 dt 17.11.22

लेखापित एवं संशोधित

[signature]
उपायुक्त,
दुमका।

[signature]
उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.17 14:36:58 +05:30
Location: 169.254.227.244